



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2187]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अक्टूबर 8, 2015/आश्विन 16, 1937

No. 2187]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2015/ASVINA 16, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2015

का.आ.2762 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के (वाणिज्य विभाग) ने आदेश संख्यांक का. आ. 67 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 में संशोधन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव विरचित किए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम 2 की अपेक्षानुसार भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् को अग्रेषित किया है तथा इससे प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के संबंध में यदि कोई प्रस्ताव विचारार्थ हैं तो आधिकारिक राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख के तीस दिनों के भीतर भेज सकते हैं।

उक्त प्रस्तावों के संबंध में कोई व्यक्ति आक्षेप या सुझाव भेजना चाहता है तो उपरोक्त वर्णित अवधि में भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्, तीसरा तल, नई दिल्ली वार्ड.एम.सी.ए., कल्चरल सेंटर बिल्डिंग, 1, जयसिंह रोड, नई दिल्ली - 110 001 को भेज सकता है।

प्रारूप प्रस्ताव

केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के आदेश संख्यांक का.आ. 67 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है (इसके साथ-साथ उक्त आदेश के रूप में वाद में भेजा जायेगा) जो राजपत्र में अंतिम प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

1. इस आदेश में, पैराग्राफ (3) में,

(i) उप पैरा (क) के पैराग्राफ का लोप किया जाएगा,

(ii) उप पैराग्राफ (ख) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और, खंड करने के लिए प्रावधान में (एक) तो पुनः संख्यांकित रूप, शब्द, कोष्ठक और पत्र के लिए "खंड (क) और (ख) के ऊपर", शब्द "इस खंड" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) उप पैरा (ग) के (ख) रूप में संख्यांकित किया जायेगा। परन्तु खंड (ख)

पुनः संख्यांकित के रूप में लोप किया जाएगा;।

(iv) उप पैरा (घ) वर्तमान में उसके उप पैरा (ग) के रूप में तो पुनः संख्यांकित और इसलिए कोष्ठक, अक्षरों और शब्दों "(क), (ख) और (ग) के लिए, फिर से गिने के रूप में खंड (ग) में, कोष्ठक, अक्षरों और शब्दों "(क) और (ख) प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. अनुसूची के आदेश में कहा गया है कि -

(i) मिलिड ग्रेड बी, के मौजूदा/ प्रवेश के विरुद् प्रविष्टि" 6.61" "विकल्प" "मिमी में न्यूनतम औसत संबंधित कॉलम 2 के तहत लम्बाई '6.8' प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ii) मिलिड बराबर उवला हुआ ग्रेड बी, के मौजूदा/ प्रवेश के विरुद् प्रविष्टि" 6.61" "विकल्प" "मिमी में न्यूनतम औसत संबंधित कॉलम 2 के तहत लम्बाई '6.8' प्रतिस्थापित किया जाएगा,

[फा.सं. 2/39/2012- निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सांरगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल आदेश भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 67 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें क्रमशः अधिसूचना संख्यांक 1881 तारीख 25 जून, 2003 को संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 8th October, 2015

S.O. 2762(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government has formulated certain proposals for amending the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number. S.O. 67(E), dated the 23rd January, 2003, for the development of export trade of India, and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required under sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 and is hereby published for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said proposals shall be taken into consideration on or after the expiry of the period of thirty days from the date of publication of this order in the Official Gazette.

Any person desiring to make any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within the period specified above, to the Export Inspection Council of India, 3rd floor, New Delhi YMCA Cultural Centre Building, 1, Jai Singh Road, New Delhi - 110001.

DRAFT ORDER

In exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Council, hereby makes the following further amendments to the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number S.O. 67(E), dated the 23rd January, 2003 (hereinafter referred to as the said Order), which shall take effect on the date of publication of the final order in the Official Gazette, namely:-

1. In the said Order, in paragraph (3),-

(i) clause (a) shall be omitted;

(ii) clause (b) shall be re-numbered as clause (a) thereof, and in the proviso to clause (a) as so re-numbered, for the words, brackets and letters "clause (a) and (b) above", the words "this clause" shall be substituted;

(iii) existing clause (c) shall be re-numbered as clause (b) thereof, and proviso -clause (b) as so re-numbered, shall be omitted;

(iv) existing clause (d) shall be re-numbered as clause (c) thereof, and in clause (c) as so re-numbered, for the brackets, letters and words "(a), (b) and (c)", the brackets, letters and words "(a) and (b)" shall be substituted.

2. In the said Order, in the Schedule -

- (i) under the heading 'MILLED', under grade 'B', for entry under column (2) relating to Minimum Average Precook Length in mm" for "6.8" substitute "6.61";
- (ii) under the heading "MILLED PARBOILED", under grade 'B', for entry under column (2) relating to "Minimum Average Precook Length in mm" for '6.8' substitute "6.61".

[F. No. 2/39/2012-Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India , Extraordinary , *vide* number S.O. 67(E), dated the 23rd January, 2003 and subsequently amended *vide* number S.O. 1881, dated the 25th June, 2003.